जनपद - संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनॉक 10.07.2021

आज दिनांक 10.07.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के मामले मे अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु **पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद **श्री अम्बरीश भदौरिया** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना को0 खलीलाबाद पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 452 / 2021 धारा 363 / 366 /376 भा0द0वि0 व 3 / 4 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त नाम सुरेन्द्र यादव पुत्र स्व0 श्रीराम निवासी पचदेवरा थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 01.07.2021 को वादिनी की पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था, जिसके संबंध मे वादिनी द्वारा दिनांक 02.07.2021 को थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए थाना को0 खलीलाबाद पुलिस द्वारा व्यपहृता को बरामद करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को आज दिनांक 10.07.2021 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्रामती संध्यारानी तिवारी मय हमराह।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा युवती की हत्या में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

आज दिनांक 10.07.2021 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डॉ कौस्तुभ** के कुशल मार्गदर्शन व अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री संतोष कुमार सिंह** कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद **श्री अम्बरीश भदौरिया** के कुशल नेतृत्व में दिनांक 30.06.2021 को ग्राम करौता थाना कोतवाली खलीलाबाद में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के समबन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 457 / 2021 धारा 302 / 201 भादवि में वांछित अभियुक्त साहेब आलम पुत्र निजामुद्दीन निवासी ग्राम करौता थाना कोतवाली खलीलाबाद को प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद **श्री मनोज कुमार पाण्डेय मय हमराह** द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

घटना का विवरण-

घटना को लेकर जनपद के सम्मानित मीडिया बन्धुओ द्वारा सफीना पुत्री साहेब आलम निवासिनी ग्राम करौता थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के हत्या कर देने के सम्बन्ध में बार – बार सूचनाओ के माध्यम से आशंका जताई जा रही थी जिसका संज्ञान जनपद के **पुलिस अधीक्षक** महोदय द्वारा लिया गया तथा ग्राम चौकीदार विक्रम प्रसाद द्वारा दिनांक 05.07.2021 को इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद में एक लिखित सूचना दर्ज कराई गई। जिसके क्रम में नियमानुसार श्रीमान जिलाधिकारी महोदया की अनुमति से दिनांक 07.07.2021 को ग्राम करौता स्थित कब्रिस्तान से सक्षम मजिस्ट्रेट व पर्याप्त पुलिस बल की मौजूदगी में मृतका सफीना के शव को कब्र से निकालकर पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराई गई ,तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सफीना के हत्या किये जाने की पुष्टि हुई। विवेचनात्मक कार्यवाही व संकलित साक्ष्यो के विश्लेषण से यह बात प्रकाश में आयी कि सफीना की हत्या उसकी आदतो एंव हरकतो से तंग आकर अपना मान सम्मान बचाने के लिये उसके पिता साहेब आलम पुत्र स्व0 निजामुद्दीन निवासी ग्राम करौता थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा ही दिनांक 30.06.2021 को रात्रि में करीब 09-10 बजे के बीच में गला दबाकर कर दी गई थी तथा साक्ष्य को मिटाने के उद्देश्य से आनन फानन में मृतका के शव को कब्र में दफन कर दिया गया था। घटना के सबन्ध में उ0नि0 श्री चन्दन कुमार द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. साहेब आलम पुत्र स्व0 निजामुद्दीन निवासी ग्राम करौता थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर उम्र करीब 46 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार पाण्डेय, का0 ऋषिकेश यादव, का0 सौरभ यादव, का0 अंकित गिरी।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 15 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 13 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1488 द्वारा दो पक्षों के विवाद को कराया गया शांत– पीआरवी 1488 को थाना महुली क्षेत्रांतर्गत इवेन्ट संख्या 037901 से कालर ने दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने से 01 महिला (सीमा पुत्री लालचन्द निवासी ग्राम बेदुखुर्द थाना महुली) को घालय होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 09 मिनट में पहुंचकर विवाद को शांत कराकर घायल हुए व्यक्तियों को जरिए 108 एम्बुलेंस से प्रा0 स्वा0 केन्द्र नाथनगर भेजवाया गया तथा घटना को संबन्ध में थाना महुली को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद / मारपीट में घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचायी गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 विनोद कुमार ओझा, आरक्षी अभय कुमार, हो0चा0 बिरेन्द्र चौधरी ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 87 वाहनो से 66500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 10.07.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 87 वाहनो से 66500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।